न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 18/188

कुन्ज बिहारी आत्मज श्री धूली लाल जाति मीणा निवासी ग्राम कुराडी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।
2. सदर/सचिव मस्जिद कागजियान कोटडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्र मोहन शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम कुराडी तहसील दीगोद में अब्दुल गनी व वली मोहम्मद पिसरान जब्बार जाति मुसलमान के खाते में कुल 07 किता की 54 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि खातेदारान अब्दुल गनी वली मोहम्मद ने वादी को दिनांक 26.05.1985 को बेचान कर कब्जा वादी को संभला दिया था । इसी दौराने सेटलमेंट हो गया और उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 26 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 133 रकबा 1.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 258 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 260 की 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 268 रकबा 1.74 हैक्अर कुल 09 किता की 8.42 हैक्टर कायम किये गये हैं । उक्त भूमि पर वादी का कब्जा सन् 1985 से चला आ रहा है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन गया है । सेटलमेंट के दौरान

उक्त भूमि को प्रतिवादी कम 2 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया । प्रतिवादी कम 2 के मन में गलत इन्द्राज से बदनियति आ गई है और वह उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल कर वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करने लगे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजी का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि प्रतिवादी कम 2 के खाते से हटाई जाकर वादी के खातेदारी में दर्ज की जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें और उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान एवं अन्तरण नहीं करें ।

4. प्रतिवादी कम 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादी ने वादग्रस्त आराजी मस्जिद कागजियान कोटडी की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज होना मानते हुए स्वयं के उक्त भूमि को क्रय करना मानते हुए कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है । उक्त भूमि वक्फ सम्पत्ति है, वक्फ सम्पत्ति के सम्बन्ध में वक्फ एक्ट की धारा 85 के अनुसार केवल मात्र वक्फ ट्रिव्यूनल को ही श्रवणाधिकार है तथा वादी का वाद इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद निरस्त फरमाया जावे।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.02.2018 के द्वारा प्रतिवादी कम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2018 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि सेटलमेंट से पूर्व उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट कम 2 के खाते में नहीं थी, सेटलमेंट की गलती की वजह से रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हो गयी । उक्त वाद में प्रतिवादी कम 2 को कोई आपत्ति थी तो वह अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर उसमें उल्लेख कर सकते थे उसके पश्चात् तनकीयात कायम कर एवं साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना चाहिए था । सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2018 निरस्त फरमाया जावे।

7. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा हक घोषणा एवं

स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसमें रेस्पोडेन्ट कम 2 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत पेश कर दावा खारिज करने की प्रार्थना की । उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया । सेटलमेंट से पूर्व आराजी रेस्पोडेन्ट कम 2 के खाते में नहीं थी । सेटलमेंट की गलती से रेस्पोडेन्ट कम 2 के नाम दर्ज हुई है । यदि उन्हें कोई आपत्ति थी तो उन्हें जवाबदावा पेश करना चाहिए था उसके उपरान्त तनकीयात कायम कर, साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना चाहिए था । सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट के द्वारा गलत रूप से रेस्पोडेन्ट कम 2 के नाम दर्ज की गई है । इससे पूर्व यह आराजी अब्दुल गनी और वली मोहम्मद पिसरान जब्बार के खाते में दर्ज थी और उनके द्वारा इस आराजी को वादी को सन् 1985 में बेचान कर कब्जा संभला दिया था और प्रतिफल की राशि प्राप्त कर ली थी । विक्रय पत्र बाद में तहरीर करने का आश्वासन दिया था । इसी दौरान सेटलमेंट हुआ और आराजी प्रतिवादी कम 2 के नाम दर्ज हो गई । वादीगण का कब्जा सन् 1985 से चला आ रहा है । उक्त आराजी पर वे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार हो गये हैं । दावे की मेन्टेनिबिलिटी Mixed Question of facts and law होता है जिसको तनकी कायम करके ही तय किया जाता सकता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट अब्दुल गनी से वादग्रस्त आराजी को क्रय करना बताते हैं परन्तु उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है और क्रय का कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा कृषि भूमि के बाबत् मेन्टेनेबल नहीं है और न ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी को खातेदार अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं । वादग्रस्त आराजी वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है जिसके लिए दावा राजस्व न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2018 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2011 (एससी) पेज 53, डीएनजे 2009 (3) पेज 1462 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया है कि उनके द्वारा सन् 1985 में वादग्रस्त आराजी अब्दुल गनी और वली मोहम्मद से क्रय की है परन्तु उनके द्वारा कोई विक्रय पत्र की प्रति पेश नहीं की है । दावे की मद संख्या 5 के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषणा की प्रार्थना की है । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिवादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

11. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी वादग्रस्त आराजी को क्रय करना बताते हैं परन्तु कोई पंजीकृत दस्तावेज इस बाबत् पेश नहीं किया है और दौराने बहस भी उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके द्वारा आराजी पंजीकृत दस्तावेज से क्रय नहीं की गई है । यदि उन्होंने आराजी को पंजीकृत दस्तावेज से क्रय नहीं किया है तो भी उनका यह दावा राजस्व न्यायालय में

न्टेनेबल नहीं है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कम 2 के खाते में दर्ज है और यह सम्पत्ति वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति होने के कारण इसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । डीएनजे 2011 (एससी) पेज 53, डीएनजे 2009 (3) पेज 1462 यहॉ चस्पा होती हैं ।

12. इन समस्त तथ्यों के आधार पर दावा वादी वादपत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार राजस्व न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रतिवादी कम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2018 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 06.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/188

कुन्ज बिहारी आत्मज श्री धूली लाल जाति मीणा निवासी ग्राम कुराडी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।
2. सदर/सचिव मस्जिद कागजियान कोटडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 78/दावा/2013

कुन्ज बिहारी आत्मज श्री धूली लाल जाति मीणा निवासी ग्राम कुराडी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।
2. सदर/सचिव मस्जिद कागजियान कोटडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 06.05.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रमोहन शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 06.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

6/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा